

Regarding Regulatory Body for online news portal

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : माननीय सभापति जी, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष उठाना चाहता हूँ ।

संचार माध्यम हमारे गणतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ है । आज देश में ऐसे संचार माध्यम के हजारों डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनल्स व्यवसायीकरण के कारण खुल रहे हैं । ऐसे कुछ चैनल्स द्वारा कुछ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिससे देश में एक खतरे की घंटी बज रही है । ऐसे कुछ चैनल्स हैं, जो व्यक्तिगत आक्रमण करते हैं । वे कुछ राजनेताओं, सांस्कृतिक और सामाजिक नेताओं को लक्ष्य बनाकर आक्रमण करते हैं । इस तरह की काफी घटनाएं सामने आई हैं, इसके कारण कई लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ।

मैं भारत सरकार से विनम्रता से आह्वान करता हूँ कि ऐसे पोर्टल्स और डिजिटल न्यूज चैनल्स को संचालन हेतु लाइसेंस देने के लिए रैगुलेटरी अथारिटी की स्थापना की जाए ताकि ऐसे पोर्टल्स और डिजिटल न्यूज चैनल्स पर अंकुश लगाया जा सके । मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान दे ।